UPSC Daily Current Affairs 13 AUG 2021

वृद्धों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- PIB)

खबरों में क्यों है?

- प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने वृद्धों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक को जारी किया है।

वृद्धों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी

- इस सूचकांक को EAC-PM के आग्रह पर प्रतिद्व्न्दिता संस्थान द्वारा जारी किया गया है।
- यह रिपोर्ट सभी भारतीय राज्यों में वृद्ध होने के क्षेत्रीय अनुक्रम की पहचान करता है और भारत में आयु बढ़ने की सर्वांगीण स्थिति का आकलन करती है।
- यह इस बात की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि अपनी वृद्ध होती जनसंख्या की खुशहाली को समर्थन देने में भारत कितना सही है।
- सूचकांक ढांचे में चार स्तम्भ शामिल हैं:
    a. वित्तीय कल्याण,
    b. सामाजिक कल्याण,
    c. स्वास्थ्य प्रणाली
    d. आय सुरक्षा, और

सूचकांक ढांचे में आठ उप-स्तम्भ भी हैं

a. आर्थिक सशक्तिकरण,
b. शैक्षिक योग्यता और रोजगार,
c. सामाजिक दर्जा,
d. भौतिक सुरक्षा,
e. मूलभूत स्वास्थ्य,
f. मनोवैज्ञानिक कल्याण,
g. सामाजिक सुरक्षा
h. सक्षम बनाने वाला पर्यावरण।

रिपोर्ट की प्रमुख खास बातें:

स्तम्भवार विश्लेषण

- स्वास्थ्य प्रणाली स्तम्भ अखिल भारतीय स्तर पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय औसत 66.97 का पर्यवेक्षण **करता है, इसके बाद 62.34 के साथ सामाजिक कल्याण का स्थान है।**
- वित्तीय कल्याण में स्कोर 44.7 है, जो पूरे शिक्षा योग्यता और रोजगार स्तम्भ में 21 राज्यों में निम्न प्रदर्शन की वजह से कम हो गया है, यह सुधार की गुंजाइश को दर्शाता है।
- राज्यों ने विशेष रूप से **आय सुरक्षा स्तम्भ** में खराब प्रदर्शन किया है क्योंकि आधे से ज्यादा राजयों का स्कोर राष्ट्रीय औसत से नीचे है, अर्थात, आय सुरक्षा में 33.03, जो सभी स्तम्भों में न्यूनतम है।

सर्वोच्च स्कोर वाले राज्य

- वृद्ध और सापेक्षिक रूप से वृद्ध राज्यों में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सर्वोच्च स्कोर वाले क्षेत्र हैं।

केंद्र शासित क्षेत्र और उत्तर-पूर्व राज्य श्रेणी में सर्वोच्च स्कोर

- **केंद्र शासित क्षेत्र और उत्तर-पूर्व राज्य श्रेणी में सर्वोच्च स्कोर चंडीगढ़ और मिज़ोरम का है।**

नोट:

- **वृद्ध राज्यों से आशय उन राज्यों से है जिनकी वृद्ध जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक है** जबकि सापेक्षिक रूप से **वृद्ध राज्यों** से आशय ऐसे राज्यों से है जहां कि वृद्ध जनसंख्या 5 मिलियन से कम है।

महत्व

- यह वृद्ध व्यक्तियों के आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के मुख्य क्षेत्रों के मापन में मदद करता है और भारत में वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति का गहराई से अध्ययन करता है।
- सूचकांक इस तरह से देश को उन क्षेत्रों की पहचान में मदद कर सकता है जिनमें सुधार की जरूरत है और वर्तमान अवसर को पकड़कर अगले दशक के लिए सकारात्मक परिवर्तनों को गति में ला सकते हैं।

- यह सही रैंकिंग के द्वारा राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित करता है और उन स्तम्भों और संसूचकों को उजागर करते हैं जिसमें वे सुधार कर सकते हैं।
- इस सूचकांक को उपकरण के रूप में प्रयोग करके, राज्य सरकारें और हितधारक उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिनपर कार्य करके वे अपनी पुरानी पीढ़ी को आरामदायक जीवन उपलब्ध करा सकते हैं।

SCO सदस्य देशों के कृषि मंत्री

(विषय-सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संगठन, स्रोत- DD न्यूज़)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, कृषि मंत्री ने दुशान्बे, ताजिकिस्तान में वर्चुअल तरीके से SCO के सदस्य राज्यों के कृषि मंत्रियों की 6वीं बैठक को संबोधित किया।

प्रमुख खास बातें

- मंत्री ने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र ने गंभीर कोविड-19 महामारी के दौरान भी बेहतर प्रदर्शन किया।
- सरकार भुखमरी की समाप्ति के लिए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और खाद्य सुरक्षा एवं पोषण को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
- यह कहा गया कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है:
    a. जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को उन्नत करना;
    b. सिंचाई के लिए नए अवसंरचना का सृजन;
    c. खादों के संतुलित प्रयोग से मृदा उर्वरता का संरक्षण;
    d. खेत से बाजार तक कनेक्टीविटी उपलब्ध कराना; और
    e. अवसंरचना निर्माण, कार्बनिक खेती के अतिरिक्त सूचना और संचार तकनीक (ICT) लिंकेज।

शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानकारी

- यह एक स्थाई अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी।

- इसकी स्थापना शंघाई (चीन) में कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़िस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान द्वारा की गई थी।
- शंघाई सहयोग संगठन चार्टर पर **2002 में सेंट पीटर्सबर्ग के** SCO **राज्याध्यक्षों की बैठक में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2003 में अस्तित्व में आया।**
- भारत और पाकिस्तान को 2017 में अस्ताना में पूर्ण सदस्यता दर्जा प्रदान किया गया।

भारत ने 100 गीगावाट की संस्थापित पुनर्नवीकृत ऊर्जा क्षमता के मील के पत्थर को हासिल किया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- भारत में कुल संस्थापित पुनर्नवीकृत ऊर्जा क्षमता बड़े पनबिजली को हटाकर, 100 गीगावाट के मील के पत्थर को पार कर गई है।

खबरों में और भी है

- 100 के पुनर्नवीकृत ऊर्जा संस्थापित क्षमता को हासिल करना 2030 तक 450 गीगावाट के अपने लक्ष्य की ओर भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

पुनर्नवीकृत ऊर्जा क्षमता में भारत की स्थिति

- संस्थापित पुनर्नवीकृत ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में भारत की स्थिति दुनिया में चौथी है, इसी तरह से संस्थापित क्षमता के संदर्भ में सौर ऊर्जा में पांचवीं और पवन ऊर्जा में चौथी है।
- भारत ने पुनर्नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में अपने लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे नव्य एवं पुनर्नवीकृत ऊर्जा मंत्रालय हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत द्वारा NDC लक्ष्यों को हासिल करना

- भारत सरकार ने सूचना दी है कि भारत ने **2005 के स्तरों की तुलना में 2030 तक 33-35% के लक्षित उत्सर्जन कटौती में से 28% से ज्यादा को हासिल** कर लिया है।
- **भारत की योजना 2005 के स्तरों की तुलना में 2030 तक कार्बन फूटप्रिंट को 33-35% तक घटाने की है।** यह 2015 में 195 देशों द्वारा अपनाए गए मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा संधि की उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

- भारत ने 2030 तक अपनी कुल संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के 40% तक को पुनर्नवीकृत बिजली में परिवर्तित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **भारत ने अभी से पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा से अपने 38.5% संस्थापित क्षमता को हासिल कर लिया है और** यदि निर्माणाधीन पुनर्नवीकृत ऊर्जा का भी हिसाब देखा जाए तो कुल संस्थापित क्षमता में पुनर्नवीकृत ऊर्जा का साझा **48% से ऊपर हो जाता है, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत दी गई प्रतिबद्धता से काफी ज्यादा है।**
- यह एक ऐसे देश में काफी महत्वपूर्ण है जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और मौसम परिवर्तन के प्रति सबसे ज्यादा कमजोर देशों में से एक है।

पेरिस समझौते के बारे में जानकारी

- इसे पार्टियों का सम्मेलन 21 अथवा COP21 भी कहा जाता है जो एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है जिसे मौसम परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए 2015 में अपनाया गया था।
- इसने क्योटो प्रोटोकॉल को विस्थापित किया जो मौसम परिवर्तन से निपटने के लिए पूर्व का समझौता था।

लक्ष्य

- वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को इस सदी में औद्योगिकीकरण पूर्व स्तरों के 2° सेल्सियस ऊपर से कुछ नीचे रखना जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित किया जा सके, जबकि ऐसे माध्यमों को अपनाना जिससे 2100 तक वृद्धि को 1.5° सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके।

इसमें शामिल है:

- वित्तीय हानि के प्रति कमजोर देश की समस्या को सुलझाना जो चरम मौसम जैसे मौसम प्रभावों का सामना करते हैं।
- विकासशील देशों की धन उगाहने में मदद करना जिससे वे मौसम परिवर्तन से तालमेल स्थापित कर सकें और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण कर सकें।
- समझौते का यह हिस्सा विकसित देशों के ऊपर कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है।
- सम्मेलन के शुरू होने के पूर्व, 180 देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जनों में कटौती के अपने वायदों को सौंपा (उद्दिष्ट राष्ट्रीयकृत निर्धारित योगदान अथवा INDCs)।

उद्दिष्ट राष्ट्रीयकृत निर्धारित योगदान

- पेरिस समझौता सभी पार्टियों से अपेक्षा करता है कि वे राष्ट्रीयकृत निर्धारित योगदानों (INDCs) के द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों को दें और आने वाले वर्षों में इन प्रयासों को मजबूत करें।
- इसमें यह जरूरत शामिल है कि सभी पार्टियां अपने उत्सर्जनों और उनके क्रियान्वयन प्रयासों पर नियमित तौर पर रिपोर्ट दें।
- **यह कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है।**
- भारत ने भी मौसम परिवर्तन से निपटने के लिए समझौते के अंतर्गत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने **उद्दिष्ट राष्ट्रीयकृत निर्धारित योगदान प्रतिबद्धताओं** की पुनः पुष्टि की है।

भारत के INDC, प्रारंभिक रूप से 2030 तक हासिल किए जाने हैं

- भारत ने 2005 के स्तरों की तुलना में 2030 तक अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक घटाने का वायदा किया है।
- यह 2030 तक गैर जीवाश्मीय ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों (पवन और सौर बिजली जैसे मुख्य रूप से पुनर्नवीकृत) से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता को हासिल करेगा। इसके लिए तकनीक का हस्तांतरण और कम कीमत के अंतरराष्ट्रीय वित्त की मदद ली जाएगी, जिसमें हरित मौसम कोष भी शामिल है।
- भारत ने अतिरिक्त वनों के द्वारा 2.5 से 3 अरब टन के कार्बन डाईऑक्साइड समतुल्य के एक अतिरिक्त कार्बन सिंक (वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषण करने का माध्यम) का वायदा भी किया है।

हर्पीज़ वायरस

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- डाउन टू अर्थ)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, ओडिशा वन के एक नर हाथी को हर्पीज़ वायरस के लिए धनात्मक पाया गया।
- शव परीक्षण रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृत्यु का कारण गंभीर खून बहने वाला रोग है जो हाथी के एंडोथिलिओट्रॉपिक हर्पीज़ वायरस (EEHV) की वजह से हुआ।

एंडोथिलिओट्रॉपिक हर्पीज़ वायरस (EEHV) के बारे में जानकारी

- यह एक घातक संक्रमण है जो बंदी साथ ही जंगली हाथियों में पाया जाता है।
- EEHV एक प्रकार का हर्पीज़ वायरस है जो हाथियों में घातक खून बहने वाले रोग को पैदा कर सकता है।
- यह दुनिया भर में हाथियों में सबसे ज्यादा मारक संक्रमणों में से एक है लेकिन सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर एशियाई हाथियों में पाया जाता है।
- **सामान्य तौर पर यह रोग घातक होता है जिसमें 28-35 घंटे में मौत हो जाती है।**
- जानवरों अथवा मानवों में हर्पीज़ वायरसों के लिए कोई उपचार उपचार नहीं है।

हर्पीज़ वायरस के बारे में जानकारी

हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस को दो प्रकारों में श्रेणीबद्ध किया जाता है:

a. हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 (HSV-1)
b. हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 (HSV-2).

संप्रेषण

- **HSV-1 मुख्य रूप से मुख से मुख संपर्क के द्वारा फैलता है जिसमें मुख का हर्पीज़ होता है (इसमें मुँह के छाले जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं), लेकिन इससे जनन हर्पीज़ भी हो सकता है।**
- **HSV-2 एक यौनगत् संप्रेषित संक्रमण है जिससे जनन हर्पीज़ हो सकता है।**

हाथियों और बाघों की गणना के लिए सामान्य सर्वेक्षण

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्री ने हाल में जनसंख्या अनुमान प्रोटोकॉल को जारी किया है जिसे 2022 में अखिल भारतीय हाथी और बाघ जनसंख्या अनुमान के लिए किये जाने वाले अभ्यास में अपनाया जाएगा।

खबरों में और भी है

- इस प्रोटोकॉल को **विश्व हाथी दिवस** के अवसर पर जारी किया गया जिसे प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है।
- **बाघ सर्वेक्षण सामान्य तौर पर चार वर्षों में एक बार होता है और हाथियों की गणना पांच वर्षों में एक बार होती है।**
- सबसे हाल के 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 2,997 बाघ थे। 2017 की अंतिम गणना के अनुसार, भारत में 29,964 हाथी थे।

हाथियों के बारे में जानकारी

एशियाई हाथियों की तीन उपप्रजातियां हैं- भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई।

- भारत में सबसे वृहद् श्रृंखला है और यहां महाद्वीप के बाकी हाथी की अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है।

संरक्षण की स्थिति

- संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची दर्जे के अनुसार अफ्रीकी हाथियों को **'कमजोर'** की और एशियाई हाथियों को **'संकटग्रस्त'** की सूची में डाला गया है।
- जंगली प्राणिजात और पादप की संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर संधि (CITES) दर्जा- अनुबंध 1।
- अनुबंध I उन प्रजातियो को सूचीबद्ध करता है जो CITES में सूचीबद्ध जानवरों और पादपों के मध्य सबसे ज्यादा संकटग्रस्त हैं।
- भारतीय हाथी को हाल में **फरवरी 2020 में गांधीनगर, गुजरात में CMS 13** की हाल में सम्पन्न हुए पार्टियों के सम्मेलन में **प्रवासी प्रजातियों की संधि के अनुबंध 1 में भी अधिसूचित** किया गया है।

<u>संरक्षण के प्रयास</u>

<u>हाथी परियोजना के लिए सुरक्ष्य पोर्टल</u>

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल में मानव-हाथी संघर्ष पर "सुरक्ष्य" नामक राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया है।

- पोर्टल का लक्ष्य वास्तविक समय सूचना को एकत्रित करना और यह वास्तविक समय आधार पर संघर्षों का भी प्रबंधन करेगा।
- यह पोर्टल डाटा संग्रहण प्रोटोकॉल, डाटा विजुअलाइजेशन उपकरणों और डाटा संप्रेषण पाइपलाइन को निर्धारित करने में मदद देगा।

अन्य पहलें

- **हाथी परियोजना** को वर्ष 1992 में **केंद्रीयकृत प्रायोजित योजना** के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
- 'गज यात्रा' हाथियों को संरक्षित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान है, इसकी शुरुआत 2017 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर की गई थी जो हाथी गलियारों को सुनिश्चित करने की जरूरत को उजागर करता है।
- इस अभियान की योजना 12 हाथी रेंज वाले राज्यों को कवर करने के लिए बनाई गई थी।
- भारतीय वन्यजीवन न्यास (WTI) ने **2017 में देश के 101 हाथी गलियारों** में आवागमन के अधिकार पर एक प्रकाशन जारी किया था। इसमें हाथी गलियारों की ज्यादा निगरानी और संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया गया।
- हाथियों को मारने की निगरानी (MIKE) के कार्यक्रम को 2003 में शुरू किया गया। यह एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है जो पूरे अफ्रीका और एशिया में हाथियों के अवैध शिकार से संबंधित सूचना में प्रवृत्तियों की निगरानी करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र संरक्षण प्रयासों के प्रभावीपन की निगरानी करना भी है।

वृक्ष बंधन परियोजना

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- PIB)

खबरों में क्यों है?

- आदिवासी मामले के मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ साझेदारी में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में वृक्ष बंधन परियोजना की शुरुआत की है।

वृक्ष बंधन परियोजना के बारे में जानकारी

- परियोजना के अंतर्गत, आदिवासी महिलाएं देशी पेड़ों के बीजों के साथ रक्षाबंधन के लिए राखी बना रही हैं।

- यह वनाच्छादन बढ़ाने और मौसम परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशिष्ट योगदान है।

प्रमुख विशेषताएं

- ये राखी देशी बीजों से बनी हैं, जिन्हें एक प्राकृतिक तौर पर रंगे हुए, मुलायम देशी, गैर-विषाक्त, जैव अपघटित सूती कपड़े पर चिपका दिया जाता है।
- एक बार प्रयोग करने के बाद, बीजों को मिट्टी में बो सकते हैं, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा।
- यह आशा की जाती है कि इस परियोजना के अंतर्गत हजारों पेड़ लगाए जाएंगे और यह परियोजना, इस **परियोजना से जुड़ी हुई आदिवासी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगा।**

परियोजना का महत्व

- यह परियोजना गौ आधारित परंपरागत खेती अथवा गो-आधारित खेती तकनीक पर आधारित है।
- यह तकनीक आदिवासी समुदायों के परंपरागत पारिस्थितिकीय ज्ञान को संरक्षित और पुनर्जीवित करना चाहती है और उन्हें रासायनिक कृषि के नकारात्मक प्रभावों से संरक्षित करना चाहती है।

करारोपण का संप्रभु अधिकार

(विषय- विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र, स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस)

खबरों में क्यों है?

- वित्त मंत्री ने हाल में राज्यसभा में कहा कि भारत का करारोपण करने का संप्रभु अधिकार अक्षुण्ण है।
- यह कथन **प्रासंगिक पूर्वव्यापी कर उपबंधों** को शून्य करने के लिए लोकसभा में **करारोपण कानून संशोधन विधेयक 2021** पेश करने के बाद आया। इस कानून को **2021 में लागू किया** गया था।

भारत में करारोपण के संप्रभु अधिकार के बारे में जानकारी

- भारत में, संविधान व्यक्तियों और संगठनों पर कर लगाने का अधिकार सरकार को प्रदान करता है लेकिन यह भी स्पष्ट कर देता है कि कोई भी बिना कानून की शक्ति के कर नहीं लगा सकता है।
- लिये जा रहे कर की पुष्टि संसद अथवा विधायिका द्वारा पारित कानून के द्वारा होनी चाहिए।

- भारत में कर **त्रिस्तरीय प्रणाली** के अंतर्गत आते हैं जो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों पर आधारित हैं और **संविधान की सातवीं अनुसूची** केंद्र और राज्य सूची के अंतर्गत करारोपण के अलग शीर्षक प्रदान करती है।
- **समवर्ती सूची** के अंतर्गत कोई अलग शीर्षक नहीं है, जिसका अर्थ है केंद्र और राज्य के पास दस्तावेज के अनुसार कोई करारोपण की समवर्ती शक्ति नहीं है।

कर की परिभाषा

- सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर एक दस्तावेज कर की परिभाषा इस रूप में देता है "सरकार को समर्थन देने के लिए व्यक्तियों अथवा संपत्ति के स्वामियों के ऊपर डाला गया धन संबंधी बोझ, विधाई प्राधिकरण द्वारा लिया गया एक भुगतान, और कि एक कर स्वैच्छिक भुगतान अथवा दान नहीं है, बल्कि लगाया गया योगदान है जो विधाई प्राधिकरण के अनुसार लिया जाता है"।

आगे पढ़ने के लिए: 06 August 2021 के DCA को देखें।